छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   प्रथम सत्र   अंक-17

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2019</u>

(फाल्गुन 6, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 02, 03, 04, 08, 12, 13, 15, 17, 21 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री भीमा मण्डावी, शिशुपाल सोरी, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, प्रकाश शक्राजीत नायक, बृहस्पत सिंह, लालजीत सिंह राठिया, डॉ.रमन सिंह, डॉ. विनय जायसवाल, पारसनाथ राजवाड़े अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री को जन्मदिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2018-19 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, को पटल पर रखा ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा,के अनुरोध पर उनके द्वारा आज सदन में पढ़ी जाने वाली सूचना को पढ़ने के लिए मैंने श्री मोहम्मद अकबर, मंत्री को अनुमति प्रदान की है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17, पटल पर रखा ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने नांदघाट (लिमतरा) से भाटापारा बलौदाबाजार मार्ग के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) डॉ. प्रीतम राम, श्री बृहस्पत सिंह (अनुपस्थित), श्री पारसनाथ राजवाड़े, सदस्य ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अम्बिकापुर के निर्वाचित अध्यक्ष को हटाये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

मानननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री लालजीत सिंह राठिया
(3) श्री यू.डी. मिंज
(4) श्री भीमा मण्डावी
(5) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर

6. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित मांग संख्या-20 एवं ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-20 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, एवं मांग संख्या-56 पर सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, नारायण चंदेल सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।
डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री अमरजीत भगत, पुन्नूलाल मोहले, शैलेष पाण्डेय,

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नारायण चंदेल, मोहन मरकाम, डमरूधर पुजारी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री अजय चन्द्राकर

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-8, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या-35 एवं प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या-58, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-9 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, मांग संख्या-8 पर श्री अजय चन्द्राकर, मांग संख्या-35, पर श्री अजय चन्द्राकर एवं मांग संख्या-58 पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।
श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

7.सदन को सूचना
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा भवन स्थित ऐलोपैथिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी तथा होम्योपैथी डिस्पेंसरी में दिनांक

26 से 28 फरवरी, 2019 तक 'स्वास्थ्य परीक्षण शिविर' आयोजित है तथा स्वाईन फ्लू के वेक्सीन लगाने की व्यवस्था भी की गई है ।

कृपया, माननीय सदस्य प्रात: 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं वेक्सीनेशन की सुविधा का लाभ लेवें ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

8.वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान(क्रमश:)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह,श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, सुश्री शकुन्तला साहू, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री देवव्रत सिंह, शिवरतन शर्मा, रामकुमार यादव

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 04 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या-47, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-44, विज्ञान और टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या-46 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या-43 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-47 पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री पुन्नूलाल मोहले, मांग संख्या-

44 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह, रजनीश कुमार सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, मांग संख्या-46 पर श्री अजय चन्द्राकर, मांग संख्या-43 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ.रेणु अजीत जोगी, नारायण चंदेल, केशव प्रसाद चन्द्रा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री शैलेष पाण्डेय, धर्मजीत सिंह, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती रश्मि आशीष सिंह

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती इन्दू बंजारे, सर्वश्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, रेखचंद जैन, केशव प्रसाद चन्द्रा, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, डॉ. रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री यू.डी. मिंज, नारायण चंदेल, रामकुमार यादव

श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-7, शक संवत् 1940) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा